

## संघीय

### अखिल भारतीय शिक्षा परिषद

#### उत्तर प्रदेश संघ (उ.प्र.)

संख्या- आशिपा/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

अवकाश दिनांक: 30/06/2022

#### -आवज्ञापन-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली पर्याप्त संरक्षित और इतिहास, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक वर्ष 2022-23 हेतु विभिन्न राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त आशियाई शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संघ में सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/06/2022 को परिषद कार्यवाही में सम्बद्धता समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु आवेदन नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व में संघीय संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सटीक विवरण काते हुए वर्ष 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में दिए गए निर्णय के अनुकूल में निम्न संस्था को आशियाई शिक्षा परिषद, उ.प्र. संघ द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु विस्तारित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अखिल प्रदेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4832-INDU PRAKASH POLYTECHNIC COLLEGE

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	संस्था/संस्थाओं द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60
5	ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING	60	60

#### सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था संस्था/संस्थाओं/संस्थाओं द्वारा निर्धारित की सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश आशियाई शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा आशियाई शिक्षा परिषद विनियमनकारी 1992, विनियमनकारी-2000, संशोधन विनियमनकारी-2018 तथा अन्य-कानून पर निर्भर शर्तों/शर्तों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के लिए पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों के लिए पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष दो वर्षों के लिए पाठ्यक्रमों (दो वर्षों के लिए पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही राष्ट्रीय छात्रवृत्ति से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र

छात्रों से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सफल द्वारा निर्गत किये जाने वाले सार्वजनिक प्रसारी होने, और तदनुसार कार्यवाही किये जाता जायक होगा।) और निर्देशन समिति द्वारा यदि वर्ष 2022-23 हेतु फीस का पुनर्विचार किये जाता है, तो फीस की महीनान्त ही अनु होगी।

- ✓ संस्था में अनुसूत प्रवेश परीक्षा परीषद् द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत सार्वजनिक के अनुसार निर्देशन एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश सफल द्वारा निर्गत विधि/विद्यार्थी/अधिनिष्ठा/सार्वजनिक/निर्देशी एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उपाध्य, अनुसूत प्रवेश परीक्षा परीषद्, उपाध्य तथा प्राविधिक शिक्षा परीषद्, उपाध्य द्वारा कबाने एवं निष्ठा, विधि/विद्यार्थी, आदेशी एवं निर्देशी का पालन करने के सिधे बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का पंजाब/पंजाब/पंजाब/पंजाब/पंजाब में अनुसूत प्रवेश किये जाता है तो इस संबंध में समस्त उपाध्य/विद्यार्थी संबंध का होगा और विधिक एवं नैतिक और कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परीषद्, अनुसूत प्रवेश परीक्षा परीषद्, प्राविधिक शिक्षा निर्देशन एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सफल के विषय यदि कोई बात उत्तर किये जाता है तथा उत्तर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किये जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करना होगी।
- ✓ संस्थाओं को अनुसूत प्रवेश परीक्षा परीषद्, उत्तर प्रदेश उपाध्य द्वारा कबाने एवं प्रवेश हेतु आवंटित सार्वजनिक प्रसारी होने के पूर्व पंजाब/पंजाब/पंजाब/पंजाब/पंजाब में अनुसूत प्रवेश कर परीषद् कार्यवाही को उपसर्ग करना होगा अन्यथा उन्हे प्रवेश की (सार्वजनिक के सफल हो प्रवेश परीक्षा के आधार पर/कोई प्रवेश) अनुसूत प्रवेश नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सफल द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत महीनान्त सफल निष्ठा का अनुसूत करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने विद्यालय पर संस्था की समस्त सुधारों जैसे संस्था की वित्तीय सुविधा भूमि, स्टाफ, समय-समय, उपकरण, प्राप्त किये जाने वाले शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपसर्ग करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-विकास हेतु उपसूत सार्वजनिक उपसर्ग करने के साथ रीति-रीत के सम्बन्ध में समस्त सार्वजनिक उपसर्ग सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में सार्वजनिक सार्वजनिक सार्वजनिक को पालने जाने हेतु निर्देशन समिति के समस्त उपसर्ग कबाने एवं अतिरिक्त, भूमि/अवसर, कमीशन, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक के सार्वजनिक में प्रयोग किये जाता है और परीषद् को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपसूत का प्रयोग किसी अन्य कबाने के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिक सार्वजनिक निर्देशन के दौरान यदि संस्था में भूमि, अवन, प्रयोग/अवन, उपकरण एवं अन्य सार्वजनिक पंजाब/पंजाब/पंजाब/पंजाब/पंजाब के सार्वजनिक उपसर्ग नहीं पाया जाता है। तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता सार्वजनिक का अनुसूत न किये जाने अथवा सार्वजनिक का उपसर्ग किये जाने की विधि में विद्यमान अनुसूत/सार्वजनिक कार्यवाही की जायेगी।



(संस्थाध्यक्ष का नाम)

अधिक

*[Signature]*

(Principal)

Page



## कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश (लखनऊ)

संख्या- प्राविश/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक: 09/08/2021

### आचार्य का पत्र

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालयी कार्यालय अफि इन्फिमा, नई दिल्ली द्वारा वीकिक संख 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा संख 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संस्थागत संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करते हुए संख 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संख 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अर्थात् पाठ्यक्रम एवं उसकी अधिकतम प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4832-INDU PRAKASH POLYTECHNIC COLLEGE, HALDHARPUR, MAU

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	एच-आई/सी/टी/ई/ई/पी/सी/आई/ई द्वारा संख 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा संख 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
4	ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
5	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एच-आई/सी/टी/ई/ई/पी/सी/आई/ई द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, सेमेस्टर विनियमवली-2018 तथा अन्य निर्मित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन सप्ताह ईन्सी/ पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो सप्ताह कार्यालयी पाठ्यक्रम हेतु रु०-

45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्यीय पाठ्यक्रमों (दो वर्यीय कार्यशील पाठ्यक्रम के अधीन) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अधीनका छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समझ-समझ पर वास्तव द्वारा निर्गत किये जाने वाले वास्तविक प्रशस्ती होने, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। जीस निर्धारण समिति द्वारा यदि वर्ष 2021-22 हेतु जीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो जीस की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त) प्राथमिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। शीटों के विद्या रद्द करने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था की समझ-समझ पर निर्गत वास्तविक के अनुसार निर्देशन एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०आई०पी०सी०आई० से आगामी वर्ष हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये डिप्लिमा/डी०एडिनिटिवेटो/वास्तविक/निर्देशनों एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाये गये विधियों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कार्यशील पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी०सी०आई०, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में संस्था उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बचत उपयुक्त किया जाता है तथा उपर बचत के संबंध में स. अत्याचार द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कार्यशील पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संचालक द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवधिक प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण विधियों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं देवे संस्था की ऐतिहासिक पूर्ण भूमि, वायव्य, वास्तविक, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्र/छात्रा शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विद्यमान-प्रतिष्ठान हेतु उपयुक्त वास्तविक उपलब्ध कराने के साथ पैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निर्देशन समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अधिलेख, भूमि, भवन, कर्मचारी, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के तृतीय निर्देशन दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सार्वजनिक ए०आई०सी०टी०आई०पी०सी०आई०परिषद के सन्धानानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विद्यमानानुसार अनुसंधानात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

प्रतिश्री-

प्रधानाचार्य/निदेशक JNU PRAKASH POLYTECHNIC COLLEGE, HALDHARPUR, MAU



(सुनील कुमार शीनकर)

सचिव

# All India Council for Technical Education

(A Statutory body under Ministry of HRD, Govt. of India)

New Building, Ring Road, Kary, New Delhi-110071 Website: [www.aicte.ac.in](http://www.aicte.ac.in)



## APPROVAL PROCESS 2024-25

### Extension of Approval (EoA)

To: **Secretary, All India Council for Technical Education**

Date: 29-Apr-2025

Re:

The Principal Secretary (Tech. Edu.)  
Govt. of Uttar Pradesh,  
Sector Scheme, Lucknow-226001,  
UDA, North Block,  
117, Lucknow-226001

#### Sub: Extension of Approval for the Academic Year 2024-25

Ref: Application of the institution for Extension of Approval for the Academic Year 2024-25

Reference:

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approval for Technical Institutions) Regulation 2020 issued by the Council with notification number F.No. 40/AC/TE/2020 dated 27 February 2020 and terms, conditions, procedures and conditions prescribed by the Council from time to time, I am pleased to convey the approval as

Parameter ID	Applicant	Applicant ID	Approvers
Name of the Institute	VLL PROSTHETIC & TECHNICAL COLLEGE		DR. SANJAY KUMAR SHUKLA
Institute Address	VLL PROSTHETIC & TECHNICAL COLLEGE, MALLAHWAL, GAZIABAD, UTTAR PRADESH, 201302		VLL PROSTHETIC & TECHNICAL COLLEGE, MALLAHWAL, GAZIABAD, UTTAR PRADESH, 201302
Institute Type	Proposed Funding	Region	Western

The applicant/Institution/Institute with the details indicated below for the Academic Year 2024-25:

Program	Level	Course	Approving Body (University/ Board)	Grant Approved for 2024-25	Grant Approved for 2025-26	AICTE Approval Status	UGC (15) Self-assessed CET Approval Status
ENGINEERING & TECHNOLOGY	DIPLOMA	CIVIL ENGINEERING	Uttar Pradesh Board of Technical Education, Lucknow	NA	NA	NA	NA
ENGINEERING & TECHNOLOGY	DIPLOMA	ELECTRICAL ENGINEERING	Uttar Pradesh Board of Technical Education, Lucknow	NA	NA	NA	NA

Electronics and Technology	diploma	Electronics Engineering	UPE Prasad Board of Technical Education, Lucknow	60	60	60	60
Electronics and Technology	diploma	Electronics and Electronics Engineering	UPE Prasad Board of Technical Education, Lucknow	60	60	60	60
Electronics and Technology	diploma	Electronics Engineering (Print)	UPE Prasad Board of Technical Education, Lucknow	60	60	60	60

It is mandatory to comply with all the essential requirements as given in APN 2020-21 (Appendix B).

#### Important Instructions

- The State Government/UT Directorate of Technical Education/ Directorate of Higher Education shall ensure that 10% of reservation for Economically Weaker Section (EWS) as per the reservation policy for admission, operational from the Academic year 2020-21 is implemented without affecting the reservation percentage of SC/ ST/ OBC/ General. However, this would not be applicable in the case of Minority Institutions referred to the Clause (1) of Article 30 of Constitution of India. Such Institution shall be permitted to increase its reservation strength not a maximum period of two years beginning with the Academic Year 2020-21.
- The Institute offering courses under the Regular, Day, Part Time, Distance, Self-Financed, Two year programmes in any mode shall have to take all facilities with an Infrastructure, Faculty and other requirements as per the norms specified in the Approval Process Handbook 2020-21 to the Government/UT. Further, the Institutions deemed to be unaccredited institutions having Government/ Minority status shall have to maintain the Faculty, Student ratio as specified in the Approval Process Handbook. All such institutions/Institutions shall have to ensure the necessary Faculty, Infrastructure and other facilities within 2 YEARS to fulfil the norms listed in the Approval Process Handbook.
- In case of any offence in violation of the Government/UT Director of Approval Letter, the concerned institution is referred to the Executive Council / Governing Council as available in the event of ACTE Statute 1987 and binding.
- With compliance of Anti-Ragging Regulation - Approval is subject to strict compliance of provisions made in ACTE Regulation notified vide P. No. 275/ Legal/ACTE/2008 dated July 1, 2008 for Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions. In case Institution fails to take adequate steps to prevent Ragging or fails to act in accordance with ACTE Regulation or fails to provide provisions or systems of Ragging, it will be liable to take any action as defined under clause 101 of the said Regulation.

Prof. Rajeev Kumar  
Member Secretary, ACTE

Date: 11/06/2020

- The Director of Technical Education, UPE Prasad
- The Principal / Director,  
MCA PRASAD POLYTECHNIC COLLEGE,  
Mehrauli, Ghazipur, Distt. Noida,  
UPE Prasad, UPE,  
Lucknow-221102